(वाद संख्या–7338/2017)

17.08.2021

प्रसंगाधीन मामला, भा0द0सं0 की धारा 364/34 से संबंधित सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर थाना कांड सं0–222/2016 के अन्तर्गत अपहृत (परिवादी के पति परमानंद यादव) की अब तक बरामदगी न होने तथा प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, सुपौल** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **"अनुसंधानकर्त्ता को अपहृत परमानंद यादव को बरामद करने का हर संभव प्रयास करने/बरामदगी पश्चात धारा–164 द0प्र0स0 के तहत माननीय न्यायालय में बयान कराने/अज्ञात मोबाईल नंबर–9762754726 से वादिनी को अपहृत से जिस मोबाईल नम्बर पर बात कराया गया था, का सी0डी0आर0/टॉवर लोकेशन/कैफ प्राप्त कर उसका विश्लेषण कर प्राप्त साक्ष्य के अनुसार दिल्ली/पंजाब आदि स्थानों पर जाकर बरामदगी करने/प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को मोबाईल नम्बर प्राप्त कर सी0डी0आर0/टॉबर लोकेशन का विश्लेषण कर उसके आधार पर बरामदगी करने का प्रयास करने एवं साक्ष्यानुसार अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कांड अनुसंधानान्तर्गत है।"**

पुनः राज्य आयोग द्वारा प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधान से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की मांग की गई। पुलिस अधीक्षक, सुपौल द्वारा कांड के अपहृत परमानन्द यादव के बरामदगी न होने का उल्लेख करते हुए प्रगति प्रतिवेदन मे यह उल्लेखित किया गया कि अभी तक पुलिस को अपहृत परमानन्द यादव की बरामदगी के संबंध मे कोई लाभदायक सूत्र नहीं मिल पा रहा है। तत्पश्चात् राज्य आयोग द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को उल्लेख करते हुए पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से प्रसंगाधीन कांड के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

बिहार पुलिस मुख्यालय (स्थापना एवं विधि प्रभार) के अन्तर्गत पुलिस **उप महानिरिक्षक(मानवाधिकार) बिहार, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि " **अनुसंधानकर्त्ता द्वारा इस कांड के अपहृत परमानंद यादव का पता लगाने का हर संभव प्रयास किया गया है, परन्तु कोई लाभदायक सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है और निकट भविष्य में पता चलने की संभावना भी क्षीण प्रतीत होना बताया गया है। कांड को प्रतिवेदित हुए 05 वर्ष से अधिक हो चुका है और अधिक दिनों तक लंबित रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होना बताया गया है। प्रतिवेदन–03–सह–अंतिम आदेश में धारा–364/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत**

प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों क विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन साक्ष्य की कमी समर्पित करने आदेश दिया गया तदोंपरान्त अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अंतिम प्रतिवेदन सं0–70/2021, दिनांक –24.04.2021, धारा–364/34 भा0द0वि0 साक्ष्य की कमी समर्पित किया गया है।"

प्रसंगाधीन कांड के धटित हुए करीब पांच वर्ष होने जा रहा है तथा पुलिस को अब तक कांड के अपहृत का कोई अता–पता नहीं चल पा रहा है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वि–सदस्यीय पीठ द्वारा राज्य के अन्तर्गत संस्थित उन सभी अपहरण मामला की संयुक्त रूप से सुनवाई की जा रही है जिनमें पुलिस द्वारा बिना अपहृत को बरामद किये या तो आरोप–पत्र/अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है या लम्बे समय तक मामला अन्वेषणान्तर्गत है।

प्रसंगाधीन मामले को उक्त **द्वि–सदस्यीय** पीठ के समक्ष अन्य समरूप मामलो के साथ सुनवाई हेतु माननीय अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग से आदेश प्राप्त किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

माननीय अध्यक्ष